<table>
<thead>
<tr>
<th>एजेंडा संख्या</th>
<th>जोन</th>
<th>विषय</th>
<th>निर्णय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01 परिसम</td>
<td>राजस्थान ग्राम बालिका लाहरिया प्रिंसेप के पास व्यवसायिक/ होटल प्रशिक्षनार्थ भवन खेत्रक नं. 3785.05 वर्ग मीटर पर होटल प्रशिक्षन भवन निर्माण दीक्षित की।</td>
<td>प्रशिक्षण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विवादास्य प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि: 1. प्रशिक्षण भवन की एक ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है तथा आवश्यक सुरक्षा अनुशासन प्रस्तुत प्राप्ति के साथ वायुविद्या का माध्यम में भूकंपप्रेरित प्रशिक्षण हेतु उच्चांक पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। 2. प्रशिक्षण विहिन छात्र हेतु भूस्तर विभाग से अनुपस्थित लिया जाना आवश्यक है। 3. प्रशिक्षण भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत कम उपकर प्राप्त हेतु भवन विभाग में उमा करायी जानी अपेक्षित है। 4. नियमाङ्कनर्ता मानचित्र में 38 गेड़ दर्शाया जाना अपेक्षित है।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 02 उत्तर | राजस्थान ग्राम बालिका तमोलिस्का के खसरा संख्या 40, 41 व 42 क्षेत्रक नं. 6418.30 वर्गमीटर (69086.16 वर्गमीटर) पर नृसिंहशंकर जन आवास योजना के Provision 3A के तहत आवासार्थ प्रशिक्षण भवन मानचित्र अनुमोदन बाकी। आवेदक : श्री भ्रमलंग पिवार पुत्र श्री अंगल सिंह पिवार | प्रशिक्षण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विवादास्य प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि: 1. प्रशिक्षण में वक्तावरण में ये-आउट पत्र जानी है, तथा पटरी विलेख जानी नहीं है। पटरी विलेख जानी किया जाना अपेक्षित है। आवेदिता मूले के पूर्व दिया में भूकंप का सीधा से लगाते हुए सेना का प्रतिबंधित क्षेत्र है, उक्त के संबंध में एकक क्षेत्र विभिन्न-2017 के बिन्दु संख्या 8.6 में निम्नाङ्कनर्ता उल्लेख किया गया है:- 8.6 अनार्की कांटलेखन पत्र हेतु प्रशिक्षण विभाग में विभिन्न द्वारा दिनांक 21.10.2016 को जारी गाइड जारी के अनुसार स्थापना/ स्थापना के निर्धारित भवन निर्माण हेतु भिड़ते अधिकारियों से अनुपस्थित प्राप्ति कराया जाने हेतु 193 स्टेशन को पार्ट-ए व 149 स्टेशन को पार्ट-बी में समिलित किया गया है। निगमन राज्य के उक्त सूचीयों में संचित शहरों में निम्नाङ्कनर्ता कार्यालयी अपेक्षित है:- 1. पार्ट-ए में संचित माउट आबू, अजमेर, नसीराबाद,
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित पार्श्व खाना विभाग की 10 मीटर परिधि में आचे है। अतः उपरोक्त परिच्छेद में उल्लिखित अनुसार "Security restriction in respect of Defence establishments / installations located at 193 stations as listed in Part A of Annexure to this circular shall apply upto 10 meters from the outer wall of such Defence establishmets / installations to maintain clear line of sight for effective surveillance. Any constuction or repair within such restricted zone of 10 meters will require prior No Objection Certificate (NOC) from the Local Military Authority (LMA) / Defence establishments" के क्रम में 10 मीटर तक की दूरी में किसी भी निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय मरम्मत की स्थापित की गई किसी परिस्थिति में खाना विभाग से अनावश्यक/स्थान से निर्मित अपेक्षित है।

3. प्रस्तावित भवन मानचित्र में 11 एण्ड, व विकलांग हेतु 1 टायलेट वस्तुनिष्ठ जाना अपेक्षित है, साथ ही Plinth Heigth न्यूटम 0.45 मीटर रही जानी अपेक्षित है।

4. वास्तुविद्या से सहाय-वन जिस से जाना अपेक्षित है।

5. प्रस्तावित पासिंगह हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन किया जाने के लिए एक मानवीय संरचना व शास्त्र पत्र देना जिसे पासिंगह उपयोग में हिस्सा जाने एवं भवन विनिमय 10.1.16 की शर्त की पालना पूर्ण रूप से करेंगे।

6. प्रस्तावित भवन की निर्मित प्रागत का 1 प्रतिशत भ्रम मूलक प्रवर्तक व उपकर प्रागति द्वारा भ्रम विभाग में जाना जाने का अपेक्षित है।

7. गुरुग्राम में जन आवास ग्रामना-2015 के प्रावधानानुसार कुल निर्मित क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल जन यूजिंग्स हेतु भवन प्रस्तावित करना आवश्यक है। प्रस्तुत भवन मानचित्र में कुल 125.94 वर्गमीटर क्षेत्रफल Community Hall हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो की कुल मित क्षेत्रफल 1097.41 वर्गमीटर का 1.14 प्रतिशत है।

संभवतः द्वारा विचार किये गये प्रत्यक्ष प्रकाश को निम्नलिखित शर्तों के अनुरुप मानन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया –

1. उपरोक्त बिनू संख्या 01 व 02 के क्रम में निर्मित लिया गया कि आवेदक भूमि के लगते हैं खाना विभाग की भूमि से 10 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार का निमित्त, मरम्मत, पालिका व पैट्रिक पैध आदि लगाना निवेदित है। अतः प्रस्तावित भवन मानचित्र में पूर्ण भूमि की खुली क्षेत्र (Open Land) दर्शित हेतु निर्माणसारी भवन मानचित्र जारी किये जाएँ।

2. उपरोक्त बिनू संख्या 03 की पूरी हेतु संशोधित मानचित्र लिया जाएँ।

3. उपरोक्त बिनू संख्या 04 व 05 अनुसार शास्त्र पत्र/आवेदन किया जाएँ।

4. भवन विनिमय अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जाएँ तथा
### विषय

**राजस्थान ग्राम सांग्रहिता के खराब नक्कर 50 के होटल प्रयोजनार्थ मुख्यपत्र सं. 00 क्षेत्रफल 728.14 वर्गमी. (608.81 वर्ग मीटर) पर होटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्थीरकृत होता।**

**आवेदक:** श्रीमति मुंकीदेशी पत्नी श्री मृदुलशरण एवं श्री गंगा नीलम भाटी पत्नी श्री कमल कंशोर भाटी

### प्रकरण

**भवन मानचित्र समिति के समक्ष विवाहार्थ प्रस्तुत किया गया।** समिति को अवगत करवाया गया कि:

1. प्रस्तावित पारिक्रम हेतु आवेदक द्वारा जोनियार के इक्के में एक अपनाएँ किया जा सकता था अनुसार व बिनिमय 10.18 की शास्त्री की पालना पूर्ण किया गया।
2. वास्तविक द्वारा अपनाएँ किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित वैमेंट हेतु मुख्य विवाह से अनुस्ंधान हेतु जाना आवश्यक है।
4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत भवन उपकर्ष प्रस्तुत द्वारा श्रम विवाह में जगा करवाया जानी आवश्यक है।

**समिति** द्वारा दिवार विबाह विवाह परक्रम प्रकरण को निर्माणित करने के लिए आवश्यक, भवन अनुसूची करने का कार्य किया गया था:

1. उपरोक्त बिनू संख्या 01 एवं 02 अनुसार शास्त्री पत्र/अपनाएँ किया जाए।
2. उपरोक्त बिनू संख्या 03 अनुसार प्रकरण में मुख्य विवाह से अनुस्ंधान हेतु जाना आवश्यक है।
3. भवन विनिमय अनुसार आवश्यक शुल्क हेतु जाना रखा।
4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत भवन उपकर्ष प्रस्तुत प्रश्न द्वारा श्रम विवाह में जगा करवाया जानी आवश्यक है।

### दस्तावेज

**राजस्थान बास्तरी बागलोना के खराब संख्या 69/1 क्षेत्रफल 15453.55 वर्गमी. (12921.14 वर्ग मीटर) पर मुख्यमंत्री जन आवास की provision 3A के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुसूची करने के क्रमांक 15 में सक्षम रहेंगे।**

**आवेदक:** मैसर्स सत्कार श्री वीरेंद्र प्रा. लि. जो निवेशक श्री प्रशासन जैन।

### प्रकरण

**भवन मानचित्र समिति के समक्ष विवाहार्थ प्रस्तुत किया गया।** समिति को अवगत करवाया गया कि:

1. वास्तविक से शास्त्री विवाह का निर्माण हेतु जाना आवश्यक है।
2. भवन में प्रस्तावित निर्माण क्षेत्रफल 2000 व. म. से अधिक होने के कारण योग्यता अनुसूची आवश्यक है।
3. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है।
4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत भवन उपकर्ष प्रस्तुत द्वारा श्रम विवाह में जगा करवाया जानी आवश्यक है।
5. प्रस्तावित भवन मानचित्र ने निर्माणसार दायें उल्लेख उपकर्ष व यथा जल संतुलन का प्रश्न दायें जाना आवश्यक है।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के प्रकरण में निर्मित क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल में सुविदेय हेतु भवन प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है।
प्रकरण भवन माननिविष्ट में कुल 12217.28 वर्गमीटर क्षेत्रफल वहाँ हाउस बना प्रस्तुत किया गया है, जो कि यूल निमित्त क्षेत्रफल 4645686.68 वर्गमीटर का 2.63 प्रतिशत है।

समिति द्वारा विचार विभाग प्रस्ताव प्रकरण को निर्देशित शर्तों के अवधायक मध्यम अनुमोदन करने के निर्देश दिया गया।

1. उपरोक्त विन्दु संख्या 01 अनुसार शायद पत्र लिखा जाए।
2. उपरोक्त विन्दु संख्या 02 के क्रम में राजस परम्परा द्वारा जारी एकमात्र भवन विभाग—2017 के विन्दु, संख्या 18.2.1 अनुसार “5000 वर्ग मीटर से 150000 वर्ग मीटर के बीच संकेत निमित्त क्षेत्रफल के मध्य में नक्से के लिए पृथक रूप से कोई पवित्राण अनुमान अपेक्षित नहीं है बल्कि जहाँ पवित्राण की शर्तों के एकक्षण को व्यवहृत में रखने हुए, पृथक पवित्राण अनुमान की अन्वितर्यात्मा की अनुमान से छूट को पवित्राण, जवाब व्यवहार अनुमोदित एवं अधिकृतित किया गया हो। पवित्राण विभाग के द्वारा पत्रीकृत पवित्राण लक्ष्यकारिणियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर साधन अधिकारी का प्रस्तुति करना होगा कि प्रस्तुत भवन मानचित्र में पवित्राण विभाग के निर्देशित नामांकनों के अनुसार प्रस्तावना किया गया है।” अतः प्रकरण वे पत्रीकृत पवित्राण लक्ष्यकारिणियों से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही भवन मानचित्र जारी किये जाए।
3. उपरोक्त विन्दु संख्या 02 अनुसार प्रकरण में अन्तः सृष्टा अनापास निर्माण पत्र एवं वातावरण से भारत में नूतनतमत की प्रधाना हेतु शायद पत्र लिखा जाए।
4. उपरोक्त विन्दु संख्या 03 अनुसार भवन विभाग अनुसार अवधायक शुल्क के लिए नियमानुसार प्रतायित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत भव उपरक्त पत्री द्वारा भवन विभाग के लिए लिखा जाए कि प्रशिक्षण का अवधार करना।
5. प्रत्यावर्तित बरेसंग ग्रेट का अनापास पत्र लिखा जाए।
6. प्रकरण में निर्देशक अध्यक्ष निओका सिटेट करें तथा नीको पर हेतु निर्माण नियमानुसार पत्र जाए पर ही भवन मानचित्र जारी करें।
7. प्रकरण में मुख्यमंत्री जन आयोग योजना—2015 के प्राधिकृत मुख्यमंत्री प्राधिकृत द्वारा जोन/अभियंतिकृत शर्ता को DPR प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही भवन मानचित्र जारी किये जाए।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष कराताह गया कि—

1. आयोजित सृष्टा पर एप्लिकेषन भवन विभाग—2017 के प्रकरण अनुसार मुख्यालय पर पत्र—1, पत्र—2 व पृष्ठ के लिए 9 गैंडर 6 संदर्भ प्रतायित दिए जाने के परामर्श—17 प्रशिक्षण ही प्रतायित होता है। उपरोक्त समन्वय में एकमात्र भवन विभाग—2017 के विन्दु संख्या 8.7 संदर्भ के उपविन्दु (VIII) में नियमानुसार उल्लेख किया गया है “प्रति तालिका-1 के विन्दु संख्या 1 (I) से (X) में शामिल आवासीय विभाग संस्थागत उपयोग के मुख्योंपर देश संदर्भ के कारण शुभतम प्रस्तुत आवश्यक क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है तो उपरोक्त निम्न लिखींस के मुख्योंपर देश संदर्भ के मुख्योंपर देश संदर्भ (अर्थात संदर्भ के छोटे छोटे अर्थ) में शिखितलित व प्रकरण जारी रखा जा सकता है।”
2. प्रत्यावर्तित पत्रिका हेतु आयोजित द्वारा जोनिका के हक में एक आवश्यक पत्र पत्र देना कि उसे पत्रिका उपयोग में लिया।
अध्यक्ष गोविंद दयाल द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई। उक्त कार्यवाही विवरण स्थान रत्न से अनुमोदित है।

(प्राधिकृत वैदिकायात)

निदेशक (आयोजना),
एवं सदनसचिव,
भवन मानविक सभित (शहीद)

dिनांक - 23.02.2018

कमांड: F37(3)/निदेशक (वैदिकृतिक)/कार्य/2018/3847-57

प्रतिष्ठित निर्माण के लिए अध्यक्ष गोविंद दयाल द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

1. निंदी संचित, अध्यक्ष गोविंद, जोवि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. जिती संचित, आपृत गोविंद, जोवि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. विशेष जिंदगी सद्यक्ष, संचित महोदय, जोवि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक, (अन्य-संचित), जोवि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपाध्यक्ष (पूर्व), जोवि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपाध्यक्ष (पश्चिम), जोवि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपाध्यक्ष (उत्तर), जोवि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपाध्यक्ष (दक्षिण), जोवि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. विशेष हेतु निदेशक (वैदिकृतिक) को निर्देश देंगे कि इसे जोवि.प्रा. की बैठक के पर अनुमोदन करें।
श्रद्धार्थ साधन शाह (विभिन्न व्यक्ति) की 02/2018 की बैठक दिनांक 15.02.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण
अय्यथा महोदय की अध्यक्षता में अय्यथा महोदय के कार्य के अंतर्गत की थी। बैठक में उपस्थित थे।

1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अय्यथा, जोधपुर।
2. श्री दुर्गेश कुमार दिस्सा आयुक्त, जोधपुर।
3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जोधपुर।
4. श्री सुधराम चौधरी, निदेशक (अभियात्रिकी), जोधपुर।
5. श्री श्रीकार कुमार उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर।
6. श्री अनिल कुमार पूर्व, उपायुक्त (उत्तर) व (पश्चिम) जोधपुर।
7. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जोधपुर।
8. श्री.आर. वेनिवेल निदेशक (आयोजना), जोधपुर।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानविता समिति (बीबी)